विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0018810

मेसर्स बैतूल टायर एण्ड ट्यूब इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, – आवेदक
सापना डेम के पास, सोहागपुर,
जिला – बैतूल (म.प्र.)

विरूद्ध

अधीक्षण अभियंता (संचा./संधा.) वृत्त,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, – अनावेदक
टिकारी, बैतूल (म.प्र.)

आदेश
(दिनांक 22.06.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक C0041210 मेसर्स बैतूल टायर एण्ड ट्यूब इण्डस्ट्रीज लिमिटेड विरूद्ध अधीक्षण अभियंता, (संचा.संधा) वृत्त में पारित आदेश दिनांक 07.07.2010 से असंतुष्ठ होकर यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (जिसे आगे संक्षिप्त में फोरम के नाम से संबोधित किया जावेगा) के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसके परिसर में 250 केवीए तथा 350 केवीए का भार स्वीकृत था । उसने दिनांक 01.09.09 को उक्त दोनों भारों को मिलाकर 600 केवीए भार वृद्धि किए जाने का आवेदन किया था तथा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से ही 600 केवीए संविदा मांग का उपयोग करना चालू कर दिया था, जबकि उसके भार की वृद्धि दिनांक 16.11.2009 को स्वीकृत की गई थी, इस कारण उस पर 250 केवीए अधिक मांग का उपयोग करने के कारण पैनल्टी लगाई गई है, जिसे उसने सशर्त जमा कर दिया है, अतः उस पैनल्टी को समाप्त किया जाकर उसे संशोधित बिल जारी किया जाए तथा उसके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 01.09.2009 से ही भार वृद्धि किया जाना माना जाए ।

3. अनावेदक/अनुज्ञप्तिधारी की ओर से उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में यह आपत्ति की गई है कि दिनांक 01.09.2009 को उपभोक्ता ने जो आवेदन दिया था वह विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं करता था । इसके अतिरिक्त आवेदक के परिसर में स्थापित कनेक्शन के संबंध में 927673/– रू. की राशि बकाया थी, जिसे आवेदक द्वारा 27.09.2009 को जमा किया गया था । दिनांक 16.11.2009 को सुरक्षा निधि जमा कराई गई थी अतः दिनांक 16.11.09 को उसकी संविदा मांग 250 केवीए से बढ़ाकर 600 केवीए की गई थी । उपभोक्ता को 508435.38/– रू. की क्रेडिट भी दी गई है, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता से 1806940/– रू. वसूली योग्य है ।

4. फोरम ने उभयपक्ष को सुने जाने के पश्चात् यह निर्णय दिया है कि आवेदक द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं दिनांक 16.11.2009 तक ही पूर्ण की गई थी, अतः इसके पश्चात् ही दिनांक 29.03.2010 को दोनों पक्षों के बीच तृतीय अनुपूरक अनुबंध निष्पादित हुआ था तथा उपभोक्ता को भार वृद्धि का लाभ दिनांक 16.11.09 से दिया गया है जो उचित है, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की यह मांग कि उसके द्वारा भार वृद्धि का आवेदन पत्र दिनांक 01.09.09 से भार वृद्धि किया जाना माना जाए, को निरस्त किया जाता है ।

5. फोरम के उक्त आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता ने विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसे औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण दिनांक 13.05.11 को निरस्त किया गया था । विद्युत लोकपाल के उक्त आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की थी । रिट याचिका क्रमांक 10715/11 मेसर्स बैतूल टायर्स तथा अन्य 3 में पारित आदेश दिनांक 06.07.11 के अनुसार उक्त रिट याचिका का निराकरण इस निर्देश के साथ किया गया कि उपभोक्ता के द्वारा दो सप्ताह के अन्दर मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कण्डिका 3.37 के प्रावधानों का पालन किए जाने पर विद्युत लोकपाल द्वारा उपभोक्ता के अभ्यावेदन को सुनवाई की जावे ।

6. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुसरण में उपभोक्ता ने दिनांक 05.08.11 को विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है । उक्त अभ्यावेदन में यह आपत्ति की गई कि फोरम ने उपभोक्ता के हितों को ध्यान में नहीं रखा है, दिया गया आदेश विधिसंगत नहीं है, अतः उक्त आदेश अपास्त किया जाए । अभ्यावेदन में उपभोक्ता की ओर से ऐसे तथ्य भी प्रस्तुत किए गए है, जिसके संबंध में उसने फोरम के समक्ष शिकायत नहीं की थी ।

7. उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत उक्त अभ्यावेदन के संबंध में अनावेदकगण की ओर से यह आपत्ति प्रस्तुत की गई कि उपभोक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के अनुसरण में दो सप्ताह के अन्दर राशि जमा

नहीं की है, अतः उसका अभ्यावेदन निरस्त किए जाने योग्य है, इसके अतिरिक्त अभ्यावेदन में उसने जो आधार लिए हैं वह विधिसंगत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

8. **उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में विचारणीय प्रश्न है कि :–**

(क) क्या अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के अनुसरण में दो सप्ताह के अन्दर आधी राशि जमा नहीं की है, यदि हां तो प्रभाव ।

(ख) क्या विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता की संविदा मांग उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की दिनांक से मान्य किए जाने योग्य है ?

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :–

9. **विचारणीय प्रश्न क्रमांक (क) का विवेचन :–** अभ्यावेदन के साथ उपभोक्ता ने दिनांक 28.10.11 को सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय का सुंसंगत आदेश उसे दिनांक 18.07.11 को प्राप्त हुआ था तथा उसने दिनांक 22.07.11 को उक्त राशि जरिये डी.डी. जमा कर दिया था, जिसकी रसीद उसे दिनांक 25.07.11 को प्राप्त हो गई थी । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि 2 सप्ताह के अन्दर उपभोक्ता को आधी राशि जमा करना थी अर्थात् विनियम 2009 की कण्डिका 3.37 का पालन करना था, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.07.11 से दो सप्ताह अर्थात् 21.07.11 तक फोरम द्वारा निर्धारित राशि की आधी राशि जमा करना थी, परन्तु उपभोक्ता की ओर से उक्त अवधि तक ऐसी राशि जमा नहीं की गई थी ।

10. उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता है कि दिनांक 06.07.11 को पारित आदेश की प्रति उसे 18.07.11 को प्राप्त हुई थी । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि 06.07.11 को आवेदक के अधिवक्ता की उपस्थिति में ही प्रश्नगत् आदेश दिया गया था, अतः प्रश्नगत् आदेश की जानकारी उपभोक्ता को दिनांक 06.07.11 को ही होने की उपधारणा की जाएगी । उपभोक्ता को तद्नुसार दो सप्ताह के अन्दर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना सुनिश्चित करना था जो उसके द्वारा नहीं किया गया था । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि को बढ़ाने का अधिकार विद्युत लोकपाल को प्राप्त नहीं है, अतः इस तथ्य से स्पष्ट है कि उपभोक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कालावधि में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कण्डिका 3.37 का पालन नहीं किया था । अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने के कारण उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त किए जाने योग्य है ।

11. **विचारणीय प्रश्न क्रमांक (ख) का विवेचन :–** उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र से स्पष्ट है कि उसने भार बढ़ाने का आवेदन दिनांक 01.09.09 को प्रस्तुत किया था । उसके परिसर का बिल बकाया था, जिसे उसने 27.09.11 को जमा किया था, सुरक्षा निधि दिनांक 16.11.09 जमा की थी इसके पश्चात् संशोधित अनुबंध किया गया था तथा दिनांक 16.11.09 से उसे भार वृद्धि का लाभ दिया गया था ।

12. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 7.3 से 7.8 में संविदा मांग/संयोजित भार की वृद्धि हेतु प्रक्रियां का निर्धारण किया गया है । संहिता की धारा 7.3 के अनुसार भार वृद्धि के लिए जो आवेदन प्रस्तुत किया जाता वह अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए तथा धारा 7.4 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बढ़े हुए भार के लिए आपूर्ति की साध्यता का परीक्षण 30 दिन के अन्दर किया जाना चाहिए तथा धारा 7.4 में वर्णित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए उपभोक्ता को निर्देशित करना चाहिए। धारा 7.5 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि यदि उपभोक्ता पर अनुज्ञप्तिधारी को किए जाने वाले भुगतान की राशि बकाया हो तो संविदा मांग में वृद्धि हेतु उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। धारा 7.6 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद नई संविदा मांग के लिए पुराने अनुबंध को निष्प्रभावी करते हुए नए अनुबंध निष्पादित किए जाएंगे । धारा 7.7 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक औपचारिकताओं के पूर्ण हो जाने के बाद अनुबंध में अंकित की गई तिथि से बढ़ा हुआ भार दिया जाएगा ।

13. विद्युत प्रदाय संहिता 2004 धारा 7.3 लगायत धारा 7.8 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उपभोक्ता द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से उसका बढ़ा हुआ भार मान्य किया जाए । उपभोक्ता द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने में समय लगा था और ऐसी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद अनुबंध पत्र दिनांक 02.01.10 को निष्पादित हुआ था, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संहिता की धारा 7.7 के प्रावधानों के विपरीत अनुबन्ध पत्र निष्पादित होने के पूर्व उपभोक्ता को छूट देते हुए दिनांक 16.11.09 से उसके भार वृद्धि को स्वीकृत होना माना है । इस तरह पूरी कार्यवाही में अनुज्ञप्तिधारी अर्थात् वितरण लाईसेंसी द्वारा उपभोक्ता के प्रति किसी तरह की अनियमितता का किया जाना परिलक्षित नहीं होता है ।

14. यहां इस तथ्य का विवेचन किया जाना सुसंगत होगा कि विद्युत वितरण के लिए जिस संस्था को विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति दी गई है उस संस्था द्वारा विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता है । विद्युत वितरण कम्पनी आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के तहत विद्युत के उत्पादन के लिए दूसरी संस्था या कम्पनी प्राधिकृत है । अतः विद्युत वितरण के लिए प्राधिकृत कम्पनी द्वारा आवश्यकता अनुसार

विद्युत की मांग विद्युत उत्पादन के लिए उत्तरदायी कम्पनी से की जाती है और ऐसी मांग के आधार पर विद्युत उत्पादन करने वाली कम्पनी द्वारा विद्युत के उत्पादन में वृद्धि की जाती है । विद्युत के उत्पादन में कम्पनी को व्यय करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की मांग पर न तो तत्काल विद्युत के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है न ही तत्काल उत्पादन में कमी की जा सकती है । अतः उपभोक्ता की मांग के आधार पर पूर्ति को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से विद्युत नियामक आयोग के द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 में भार में वृद्धि और कमी के लिए एक निश्चित प्रक्रियां का निर्धारण किया गया है । उक्त प्रक्रियां का पालन उपभोक्ता तथा वितरण लाईसेंसी दोनों के द्वारा किया जाना आवश्यक है ।

15. इस मामले में उपभोक्ता के द्वारा भार में वृद्धि किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निश्चित प्रक्रियां का पालन करते हुए भार में वृद्धि किए जाने पर उसका आवेदन पत्र नियमानुसार स्वीकृत किया गया है । उपभोक्ता की यह शिकायत की उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से ही भार वृद्धि की जाए विधिसंगत प्रतीत नहीं होती, क्योंकि मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उपभोक्ता के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से ही भार वृद्धि माना जाए ।

16. उपरोक्त विवेचन के आधार पर उपभोक्ता की शिकायत को आधारहीन होना पाया जाता है । फोरम द्वारा उसकी शिकायत को निरस्त किए जाने का आदेश विधिसंगत आधारों पर दिया है । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार करने का कोई विधिक अधिकार नहीं पाया जाता है, अतः फोरम के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है तथा फोरम के आदेश की पुष्टि की जाती है ।

17. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल